(119)

॥ श्री ॥ R 978-PBR 17

पुनरीक्षण क्र. /16–17
दिनांक 21 /03/2017
R. - PBR/17

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र. केम्प इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.)

याचिकाकर्ता/मुलप्रार्थी की ओर से पुनरीक्षण/निगरानी याचिका धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत ।

छज्जू पिता भोलू गुर्जर
निवासी –ग्राम रावेरखेड़ी, तह. सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) .....याचिकाकर्ता/मूलप्रार्थी

विरूद्व

1. शेरू पिता कड़वाजी गुर्जर
2. विष्णु पिता कड़वाजी गुर्जर

दोनो निवासी –ग्राम रावेरखेड़ी, तह.सनावद,जिला खरगोन (म.प्र.) ... प्रत्यर्थीगण/प्रतिप्रार्थीगण

इसमें याचिकाकर्ता/मूलप्रार्थी की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण/निगरानी प्रस्तुत है कि :–

1. यह कि याचिकाकर्ता/मूलप्रार्थी, सदर पुनरीक्षण/निगरानी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर के न्यायालय के द्वारा द्वितीय अपील रा.प्र.क. 219/2016–17 में स्थगन आदेश दिनांक 06/03/2017 निरस्त करने से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर निराकरण हेतु प्रस्तुत की है।

2. यह कि माननीय विद्वान अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील राजस्व प्रकरण कमांक 219/2016–17 में स्थगन आदेश दिनांक 06/03/2017 को निरस्त करने का आलोच्य आदेश (प्रोसेड़िग ) की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हैं।

3. यह कि याचिकाकर्ता/मूलप्रार्थी द्वारा सदर पुनरीक्षण/निगरानी प्रश्नगत आदेश दिनांक 06/03/2017 के विरूद्व प्रस्तुत की है, वह समयावधि में प्रस्तुत होकर योग्य न्यायशुल्क पर प्रस्तुत की है। एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 978-PBR/2017 दुरजू / शेख आमी जिला खरगोन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 23–8–2017 | आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–3–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से दिनांक 21–3–17 को तर्क प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक की फसल खड़ी है और यदि स्थगन नहीं दिया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी । अतः आवेदक को दिनांक 20–6–17 तक के लिये स्थगन दिया गया था, जिसे दिनांक 22–8–17 तक के लिये बढ़ाया गया । निश्चित रूप से इस दौरान प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक द्वारा फसल प्राप्त कर ली गई होगी । अतः अब इस निगरानी को आगे चलाये जाने को कोई औचित्य नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |